भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1349

शनिवार, **19** सितम्बर, **2020/28** भाद्रपद**, 1942 (**शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक स्थलों के आस-पास धोखाधड़ी करने वाले लोग

+1349. श्री गौतम गंभीरः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों, स्मारकों, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के आसपास धोखाधड़ी करने वाले लोगों की उपस्थिति विदेशी पर्यटकों को देश के आंतरिक भागों में यात्रा करने से हतोत्साहित करने का एक मुख्य कारण है, और क्या सरकार इस मुद्दे के समाधान हेतु स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर बड्डी सिस्टम के रूप में किसी योजना पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' तथा पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सहित अपराध की रोकथाम राज्य से संबंधित विषय हैं। तथापि पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरुप दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और सिक्किम की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अत्यधिक पर्यटको वाले महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यो में पुलिस कार्मिकों सहित विशेष कॉल सेंटरो की स्थापना के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय की सदस्यता में एक समिति गठित की है। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों में पर्यटक पुलिस की प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को पत्र भी भेजे हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा करते समय संकटग्रस्त पर्यटकों को समुचित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों हेतु **10** अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी

सहित **12** भाषाओं में टोल फ्री संख्या **1800 111 363** अथवा लघु कोड **1363** पर **24x7** बहुभाषी पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन की शुरुआत की है।

(ii) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को पारित किया है जो पर्यटको एवं स्थानीय नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा एवं उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए सम्मान के साथ पर्यटन कार्यकलापों को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देशों का एक समूह है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने सुदूर क्षेत्रों सहित देशभर के पर्यटक गंतव्यों में पर्यटकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सुविधा प्रदाता स्थानीय मेजबान की भूमिका निभाने में भी सक्षम होंगे और इस प्रक्रिया में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के यात्रियों की वास्तविक सुरक्षा और सुरक्षा की धारणा को भी सुनिश्चित करेंगे।

****